

सं: 1:05:138:I:सीएस

दिनांक: 12.12.2019

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001
---	--

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 248(5) के प्रावधान के अंतर्गत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों के रूप में सम्मिलित तीन आईटीपी एसपीवी (यों) की कंपनी रजिस्ट्रार से नाम हटाने की मंजूरी हेतु सूचना।

महोदया/महोदय,

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 के अनुसरण में, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, ने कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 248(5) के प्रावधान के अंतर्गत पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों के रूप में सम्मिलित निम्नलिखित तीन आईटीपी एसपीवी (यों) की कंपनी रजिस्ट्रार से नाम हटाने की मंजूरी दे दी है।

- 1) मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड
- 2) बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
- 3) साउथ-सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com